

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर

सेवा पर्व पखवाड़ा अन्तर्गत ग्रामीण सेवा शिविर

ग्राम पंचायत-

खिन्वारी

प्रकरण संख्या:- 313/25

दिनांक:- 3-10-2025

उनवान

श्री मूलचंद पुग
भूरा

बनाम सरकार जरिये तहसीलदार
चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर



:: आदेश ::

प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र और उसके साथ संलग्न दस्तावेजों के प्रतीति हत्का खिन्वारी भू अ. नि. झादलवाड़ा कला एवं तहसीलदार चौथ का बरवाड़ा की रिपोर्ट/अनुशांषा अनुसार राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत ग्राम नाहरीकला पो हठ खिन्वारी की वर्तमान स्थायी जमाबन्दी के खाता संख्या 88 में वर्तमान दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र. सं.	अशुद्ध प्रविष्टि का प्रकार (नाम/पिता का नाम/जाति/ग्राम का नाम/रहन आदि)	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	शुद्ध प्रविष्टि, जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है।
1	नाउ	महा पुग भूरा	मूलचंद पुग भूरा (शेख दस्तावेज जमाबन्दी)

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा
(सो मा०)

प्रतिलिपी :-

1. तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल कर पालना प्रवृत्त करे।
2. प्रार्थी श्री मूलचंद पुग भूरा नाहरीकला भोगिया (भोगिया)



उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा
(सो मा०)